



# जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23.11.2023

थाना कैराना

**थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 1,10,000/- रुपये बरामद:-**

दिनांक 15.11.2023 खालिद पुत्र नशीम निवासी अतरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की गाड़ी न0 यूपी 23 टी 7660 के ड्राईवर जावेद पुत्र आलमदीन निवासी पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली, क्लीनर एहसान के साथ तरावडी मंडी जनपद करनाल हरियाणा से धान की बिक्री से प्राप्त 3,10,000/- रुपये लेकर अमरोहा अतरासी के लिए चला। रास्ते में अपने पंजीठ स्थित घर पर चाय पीकर अमरोहा के लिए चल दिये। रास्ते में हापुड़ रोड पर क्लीनर एहसान को गाड़ी में सोता छोड़कर जावेद उपरोक्त धान की बिक्री से प्राप्त 3,10,000/- रुपये लेकर भाग गया। वाहन स्वामी खालिद उपरोक्त द्वारा गाड़ी में लगे जीपीएस के माध्यम से जानकारी कर हापुड़ रोड पर खड़ी गाड़ी में क्लीनर एहसान सोता हुआ पाया गया। वाहन स्वामी खालिद उपरोक्त द्वारा थाना कैराना पर ड्राईवर जावेद को नामजद करते हुए लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें दिनांक 21.11.2023 को अभियुक्त जावेद उपरोक्त के घर से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 2,00,000/- रुपये की पूर्व में ही बरामदगी की जा चुकी है।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.11.2023 को थाना कैराना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त जावेद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 1,10,000/- रुपये बरामद हुये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता अभियुक्त:-**

1-जावेद पुत्र आलमदीन निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरण:-**

कुल 01 लाख 10 हजार रुपये (500-500 रूपयों के 220 नोट)।

**बरामद करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उप निरीक्षक सुरेशवीर सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 अंकित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 विकास कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



## थाना कांधला

### थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 22.11.2023 को वादी श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र जहाना निवासी मौहल्ला राजयजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली के घर से अज्ञात चोर द्वारा मोबाइल चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी के 01 मोबाइल (ओप्पो-16) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.छोटन पुत्र सत्तार निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली ।

### बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी किया हुआ मोबाइल फोन ओप्पो-16 ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 585/23 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना कांधला जनपद शामली ।

2.है0का0 मोतीलाल थाना कांधला जनपद शामली ।

3.है0का0 अंकुर चौधरी थाना कांधला जनपद शामली ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2023 में अभियुक्त साकिर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम पावटी कलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 290/2023 धारा 380, 411 भादवि में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. वर्ष 2009 में अभियुक्त नौशाद पुत्र शरीफ निवासी कस्बा व थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 530/2009 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त नौशाद उपरोक्त को धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 8,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते कस्बा चौसाना में दुकानों में हुई चोरी के 04 व 01 अन्य चोरी के अलग-अलग मामलों में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 14,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. जनवरी 2023 में कस्बा चौसाना थाना झिंझाना स्थित सत्यम गार्मेंट की दुकान में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 28/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्त निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू उर्फ सरदार पुत्र शेर सिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली का नाम प्रकाश में आया था जिससे चोरी गये सामान की बरामदगी करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 457 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजी व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. जनवरी 2023 में कस्बा चौसाना थाना झिंझाना स्थित कृष्णा क्लाश हाऊस से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 29/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्त निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू उर्फ सरदार पुत्र शेर सिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली का नाम प्रकाश में आया था जिससे चोरी गये सामान की बरामदगी करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 457 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजी व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. जनवरी 2023 में कस्बा चौसाना थाना झिंझाना स्थित पत्थर/टाईल्स की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 30/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्त निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू उर्फ सरदार पुत्र शेर सिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली का नाम प्रकाश में आया था जिससे चोरी गये सामान की बरामदगी करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 457 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजी व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. जनवरी 2023 में कस्बा चौसाना थाना झिंझाना स्थित सीमेंट/रोड़ी की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 31/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना से अभियुक्त निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू उर्फ सरदार पुत्र शेर सिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली का नाम प्रकाश में आया था जिससे चोरी गये सामान की बरामदगी करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा

380 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 411 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 457 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5. वर्ष 2022 में अभियुक्त निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू उर्फ सरदार पुत्र शेर सिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 468/2022 धारा 457, 380 भादवि में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 457 भादवि में 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

#### **नाम व पता अभियुक्त:-**

1-निन्दर उर्फ गोलू उर्फ नीटू उर्फ सरदार पुत्र शेर सिंह उर्फ चरण सिंह निवासी थानू का डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

**SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI**